

प्रेषक ०१०६ लाइन ए कॉम्पनी

२५ अगस्त २०२० का अधिकारी विभाग के अधिकारी नियुक्ति प्रधान सचिव (योजना) कार्यालय कामांडु एवं शिमला कार्यालय कामांडु हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१००२.

प्रेषित २-लाइन ए कॉम्पनी (आकड़ी इनियावाले) छोड़ि जाएगा

२-लाइन ए कॉम्पनी (उद्दीप्तीश्वर कामांडु) कामांडु समस्त उपायुक्त, नियुक्ति (२५.४.२०२०) आकांडिकाल में छोड़ि हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: २-लाइन ए कॉम्पनी शिमला-२, ३० ७ अप्रैल, २०२०.

**विषय:- विधायक क्षेत्र विकास निधि का COVID-19 की सोकथाम/उपचार के लिए प्रयोग हेतु संशोधित दिशा-निर्देश।**

महोदय, २-लाइन ए कॉम्पनी (कामांडु ए कॉम्पनी) छोड़ि जाएगा, लाइन ए कॉम्पनी

प्रदेश में COVID-19 से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत एवं आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा इसके अन्तर्गत किए जाने वाले प्रावधानों को, दो वित्तीय वर्षों, क्रमशः २०२०-२१ तथा २०२१-२२, के दौरान अपरिवालित (non operational) करने का निर्णय लिया गया है।

यह दिशा-निर्देश तुरन्त रूप से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(डॉ० बसु सूद)

सलाहकार (योजना)

हिमाचल प्रदेश, शिमला-२

क०प००/२

पृष्ठ संख्या: यथोपरि ।

दिनांक: 7 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. समस्त माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति .....
- .....
- .....
2. प्रधान सचिव (जनजातीय विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3.
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार(ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
5. विशेष सचिव (वित्त) एवं निदेशक, अभिलेख एवं कोषागार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
6. उप सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
7. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
8. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4.
9. निजी सचिव, माननीय .....मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।
10. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
11. निजी सचिव, प्रधान सचिव (योजना एवं वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
12. निजी सचिव, मुख्य सचेतक (हि.प.वि.स.), शिमला-4.
13. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
14. समस्त उप निदेशक, योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश ।
15. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यदि कोई कार्य विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया हो तो उसे तुरन्त निरस्त किया जाए ।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
17. गार्ड नस्ति ।

  
सलाहकार (योजना)

हिमाचल प्रदेश, शिमला-2